# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./31/2017/जैसलमेर

37 14/7/19

| अपीलांट | | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|---|
| राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार फतेहगढ़। | बनाम | 1.शक्तिदान पुत्र ठकरदान<br>2.लेखदान पुत्र ठकरदान जातियान चारण निवासीयान सांगड़ तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर। |

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 94/2015 बनवान ठकरदान के कायम मुकाम शक्तिदान वगैरह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.04.2016।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री केसरसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट की ओर से

## निर्णय

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

दिनांकः— 25.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम सागड के खसरा संख्या रकबा 8.11 बीघा, खसरा संख्या 220 रकबा 2.10 बीघा, खसरा संख्या 221 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 223 रकबा 22.09 बीघा, खसरा संख्या 224 रकबा 14.04 बीघा व खसरा संख्या 226 रकबा 2.16 बीघा कुल रकबा 50.19 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। रेस्पोडेंट/वादीगण का वक्त सेटलमेंट कब्जा काश्त नहीं होने के कारण ग्राम सागड के खसरा संख्या  रकबा 8.11 बीघा, खसरा संख्या 220 रकबा 2.10 बीघा, खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

संख्या 221 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 223 रकबा 22.09 बीघा, खसरा संख्या 224 रकबा 14.04 बीघा व खसरा संख्या 226 रकबा 2.16 बीघा कुल रकबा 50.19 बीघा भूमि राजकीय दर्ज की गई एवं इनके नाम दर्ज नहीं हुई है, जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 04.04.2016 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया वक्त सेटलमेंट में में ग्राम सागड़ के खसरा संख्या रकबा 8.11 बीघा, खसरा संख्या 220 रकबा 2.10 बीघा, खसरा संख्या 221 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 223 रकबा 22.09 बीघा, खसरा संख्या 224 रकबा 14.04 बीघा व खसरा संख्या 226 रकबा 2.16 बीघा कुल रकबा 50.19 बीघा भूमि रेस्पोडेंट/वादी और उनके वालिदान की पैतृक पीढियों की भूमि है जिस पर बहैसियत मालिक एवं काबिज काश्तकार है। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। रेस्पोडेंट/वादीगण की मौके पर रहवासी ढाणीयों टांके बने हुए तथा रेस्पोडेंट/वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त है। शेष भूमि बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यो में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के समक्ष दावा दिनांक 01.09.2015 को पेश हुआ जो उनकी मार्किंग से स्पष्ट है। इस पर रीडर की रिपोर्ट तारीख अंकित नही है तथा पीठासीन अधिकारी ने इसे लगभग तीन माह पश्चात **"दर्ज कर नोटिस जारी करें"** का आदेश दिनांक 02.12.2015 को दिया परन्तु आदेशिका में टाईप तिथि दिनांक 07.10.2015 स्पष्ट दृष्टिगोचर है जिसे काट कर दिनांक 02.12.2015 किया गया है। दिनांक 20.01.2016 को प्रतिवादी सरकारी पक्ष का जबावदावा प्रस्तुत हुआ जिस पर भी पीठासीन अधिकारी की मार्किंग नहीं है। पत्रावली में जरिये अधिवक्ता 04 तनकीयात कायम कर दरख्वास्त पेश की जिस पर भी पीठासीन अधिकारी की मार्किंग अथवा

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

इसके विवेचन एवं सत्यापन बाबत उनके कोई हस्ताक्षर नहीं है। इसी प्रकार पत्रावली में वादीपक्ष की गवाह के रूप में वैणीदान पुत्र मेघूदान का शपथ–पत्र जिस पर पीठासीन अधिकारी की न तो मार्किंग है न ही प्रस्तुति अंकन है। इस गवाह की मुख्य परीक्षा स्वरूप शपथ–पत्र पर पीठासीन अधिकारी के RO & AC प्रमाणित होकर हस्ताक्षर नहीं है, न ही जिरह पर हस्ताक्षर है। इसी प्रकार वादी पक्ष की साक्षी शक्तिदान पुत्र ठाकुरदान के शपथ–पत्र पर न कोई दिनांक अंकित है, न प्रस्तुतिकरण (Presetation) या मार्किंग है न जिरह के पश्चात सत्यापन स्वरूप पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर ही है। प्रतिवादी पक्ष के रूप में केवल सुमन पटवारी के कम्प्यूटर टाईप किये हुए बयान तथा जिरह अंकित हैं जिस पर तारीख का कोई अंकन नहीं है। गवाहों द्वारा वाद पत्र के संबंध में किये गए कथनों के समर्थन में किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं हुए है इसलिए पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजी अभिलेख बिना प्रदर्श के ग्राह्य ही नहीं है उभयपक्ष के गवाहों के द्वारा अभिकथित खसरा संख्या 220, 222, 223 कुल रकबा 69 बीघा के विपरीत अन्य राजकीय भूमि के खसरों को भी शामिल करते हुए निर्णय दिया गया है जो सरासर निराधार है। वादीगण के वादग्रस्त खसरों 220, 222, 223 पर पटवारी के बयानों के आधार पर मात्र 2 वर्ष (संवत 2071 व 2072) में अतिक्रमण दर्ज है। यह अतिक्रमण प्रत्येक खसरे में कितने रकबे पर है? के बारे में कोई खुलासा नहीं है अतः वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का अनवरत कब्जा काश्त साबित ही नहीं है। इतना ही नहीं, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 12 से 21 (कुल पृष्ठ 10) पर संलग्न वाद–पत्र की एक प्रति है जिसमें दावाकृत भूमि ग्राम सांगड़ के केवल 3 खसरा 220, 222, 223 कुल रकबा (खसरा संख्या 222 में 0.14 बीघा को छोड़ते हुए) 69.00 बीघा का अंकन है परन्तु पत्रावली में उपलब्ध पीठासीन अधिकारी द्वारा मार्क मूल दावा प्रति में ग्राम सांगड़ के दावाकृत खसरा संख्या 219, 221, 224 व 226 को भी अतिरिक्त रूप में शामिल किया हुआ पाया जो है निश्चित रूप से बाद में तैयार किया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया प्रतीत होता है। रेस्पोडेंट/वादीगण का दावाकृत समरी का खसरा संख्या 222 रकबा 69.00 बीघा में उनके पिता ठकरदान के अलावा भी लगभग 36 सहखातेदारों का अंकन है इसलिए उनको आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार रूप में संयोजित नहीं किया है, लिहाजा दावा आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण ग्राह्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि न तो दावा सद्भाविक है, न ही वाद विचारण की प्रक्रियागत कार्यवाही ही सद्भाविक है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 94/2015 बनवान ठकरदान के कायम मुकाम शक्तिदान वगैरह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.04.2016 को खारिज किया जाता है।

25/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान चारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner